निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 आषाढ़ 1937 (श0)

(सं0 पटना 724) पटना, वृहस्पतिवार, 2 जुलाई 2015

सं० 11 / आ0नी0–III–14 / 2013 सा0प्र0–9533
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

1 जुलाई 2015

विषय :–बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–37 पर दर्ज "दांगी" जाति को विलोपित कर अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–127 पर स्वतंत्र रूप से "दांगी" जाति को शामिल करने के संबंध में।

राज्य सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–2641 दिनांक 15.09.2006 के द्वारा अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना का गठन किया गया है। संकल्प की कंडिका–3 (iii) के अनुसार आयोग अत्यन्त पिछड़ी जातियों की सूची में किसी जाति को सम्मिलित करने अथवा उससे हटाने की अनुशंसा सरकार को कर सकेगा।

अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग के पत्रांक–216 दिनांक 22.06.2015 द्वारा दांगी जाति के संबंध में दिया गया निष्कर्ष निम्नवत् है :–

"दाँगी" जाति के उपरोक्त दावों, गवाहों के बयान तथा आयोग के सदस्यों द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर आयोग अंतिम रूप से इस निष्कर्ष पर पहूँची है कि "दाँगी" जाति की स्थिति सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं राजनैतिक हर प्रकार से पिछड़ी जातियों की तुलना में काफी दयनीय है। अतः आयोग सरकार से "दाँगी" जाति को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की अनुशंसा करती है।

अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना के उपर्युक्त अनुशंसा पर पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना का परामर्श प्राप्त किया गया। पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग के पत्रांक–51 दिनांक 29.06. 2015 द्वारा दिया गया सलाह निम्नांकित है :–

बिहार अधिनियम–12, 1993 की संशोधित अधिनियम 2007 की धारा–9(1) (ग) के तहत् राज्य सरकार को पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना की यह सलाह है कि पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक 37 पर दर्ज ''दांगी'' जाति को विलोपित कर दिया जाय तथा ''दांगी'' जाति को अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) की अंतिम प्रवृष्टि में स्वतंत्र रूप से शामिल कर दिया जाय।

बिहार अधिनियम–12, 1993 की धारा–9 (2) के अनुसार आयोग की राय मानने के लिए सामान्यतः राज्य सरकार बाध्य होगी।

अतः राज्य सरकार ने भली–भाँति विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–127 पर **''दांगी''** जाति को स्वतंत्र रूप से शामिल कर दिया जाय।

यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।

आदेश–आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना/केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती)/पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/अति पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना/बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 724-571+200-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in